



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 5, 2012/ज्येष्ठ 15, 1934

No. 261]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 5, 2012/JYAISTHA 15, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

सा.का.नि. 429(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 266क, धारा 266ख और धारा 266ड के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी निदेशक पहचान संख्या (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 है।
(2) ये 11 जून, 2012 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 के प्ररूप डी.आई.एन.-1 में, क्रम संख्यांक 4 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“4क या भारत में निवासी है हां नहीं”

[फा. सं. 1/1/2011-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 649(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई :—

क्रम संख्या	अधिसूचना सं.	तारीख
01	सा.का.नि. 14(अ)	09-01-2007
02	सा.का.नि. 265(अ)	29-03-2007
03	सा.का.नि. 849(अ)	15-10-2010
04	सा.का.नि. 258(अ)	26-03-2011
05	सा.का.नि. 427(अ)	02-06-2011
06	सा.का.नि. 507(अ)	08-02-2011
07	सा.का.नि. 395(अ)	28-05-2012

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2012

G.S.R. 429(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) and (b) of sub-section (1) of Section 642 read with Sections 266A, 266B and 266E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Companies Director Identification Number (Second Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force with effect from 11th June, 2012.

2. In the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006, in Form DIN-1, after serial number 4, the following serial number shall be inserted, namely :—

“4A Whether resident in India Yes No”

[F.No. 1/1/2011-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note :—The principal notification was published vide number G.S.R. 649(E), dated the 19th October, 2006 and subsequently amended vide the following notifications :—

Sl. No.	Notification No.	Date
01	G.S.R. 14(E)	09-01-2007
02	G.S.R. 265(E)	29-03-2007
03	G.S.R. 849(E)	15-10-2010
04	G.S.R. 258(E)	26-03-2011
05	G.S.R. 427(E)	02-06-2011
06	G.S.R. 507(E)	05-07-2011
07	G.S.R. 395(E)	28-05-2012

2029 GI/2012